KAMGAR EKTA COMMITTEE

केईसी भारतीय रेलवे के लोको पायलटों और सहायक लोको पायलटों के न्यायोचित संघर्ष का समर्थन करता है!

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (एआईएलआरएसए) के नेतृत्व में भारतीय मार्गों के दक्षिण जोन के लोको पायलट (एलपी) और सहायक लोको पायलट (एएलपी) अपने आराम और ड्यूटी के घंटों, यात्रियों और रेलकर्मियों दोनों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 01.06.2024 से आंदोलन पर हैं। उनकी उचित मांगें हैं:

(ए) पर्याप्त आराम का अधिकार :

6 दिनों की ड्यूटी के बाद, एलपी और एएलपी को दोबारा ड्यूटी पर जाने से पहले केवल 30 घंटे का आराम दिया जाता है।

एआईएलआरएसए की मांग है कि एलपी और एएलपी को आवधिक विश्राम (30 घंटे) और मुख्यालय विश्राम (16 घंटे) मिलना चाहिए। इस प्रकार, वे 6 दिनों की ड्यूटी के बाद 46 घंटे (30 घंटे + 16 घंटे) के हकदार हैं।

अपर्याप्त साप्ताहिक आराम एलपी और एएलपी को अपने स्वास्थ्य को फिर से जीवंत करने के साथ-साथ पारिवारिक कर्तव्यों की देखभाल के लिए आवश्यक समय से वंचित कर देता है।

(बी) अत्यधिक ड्यूटी घंटे :

विभिन्न समितियों द्वारा दिए गए आश्वासनों और 14.08.1973 को संसद में तत्कालीन श्रम मंत्री की घोषणा के विपरीत एलपी और एएलपी को अकसर 12, 14, 16 घंटे काम करना पड़ता है कि एलपी और एएलपी के ड्यूटी घंटे साइन

ऑन से साइन ऑफ़ 10 घंटे तक सीमित रहेंगे। यह शर्म की बात है कि 50 साल से अधिक समय के बाद भी रेलवे अधिकारी इस आश्वासन पर अमल नहीं कर रहे हैं।

ऐसे लंबे समय तक काम के घंटे न केवल कर्मचारियों की भलाई और दक्षता को प्रभावित करते हैं, बल्कि रेलवे सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं, खासकर चुनौतीपूर्ण परिचालन स्थितियों में। इसलिए एआईएलआरएसए की मांग है कि ड्यूटी के घंटे 10 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए।

(सी) सतत रात्रि ड्यूटी :

वर्तमान में एलपी और एएलपी को लगातार चार रात्रि पाली तक काम करना आवश्यक है। यह प्राकृतिक सर्कैडियन लय को बाधित करता है जिसके परिणामस्वरूप तनाव का स्तर बढ़ जाता है और सुरक्षा मानकों से समझौता हो जाता है।

हाल ही में 2 जून 2024 को अंबाला, पंजाब में हुई ट्रेन दुर्घटना आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण थी कि एलपी और एएलपी दोनों लगातार दो से अधिक रात्रि ड्यूटी कर रहे थे।

इसलिए AILRSA की मांग है कि लगातार 2 से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं होनी चाहिए।

(डी) मुख्यालय से लंबे समय तक अनुपस्थिति:

अपने परिवारों से दूर लंबे समय तक रहने से लोकोमोटिव चलाने वाले कर्मचारियों पर शारीरिक और भावनात्मक तनाव बढ़ जाता है, जिससे उनके समग्र स्वास्थ्य और मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वे अपनी पारिवारिक और सामाजिक

प्रतिबद्धताओं को पूरा करने से भी वंचित हो जाते हैं। परिवार से 72 घंटे की अनुपस्थिति के बाद मुख्यालय पहुंचने पर, लोको रनिंग स्टाफ को अगले 72 घंटे के चक्र के लिए ड्यूटी फिर से शुरू करने से पहले अकसर केवल 16 घंटे का आराम मिलता है।

उपरोक्त कारणों से ही AILRSA ने दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक को नोटिस दिया कि 01.06.2024 से एलपी और एएलपी लगातार 10 घंटे से अधिक काम करने के लिए सहमति नहीं देंगे। उन्होंने 46 घंटे के साप्ताहिक आराम का लाभ उठाने, लगातार रात की पाली को दो तक सीमित करने और बाहरी स्टेशनों पर 48 घंटों के बाद समय पर मुख्यालय में वापसी सुनिश्चित करने के अपने इरादे की भी पुष्टि की।

लोको रनिंग स्टाफ द्वारा उठाई गई जायज मांगों को संबोधित करने के बजाय, दक्षिण रेलवे ने 300 आरोप पत्र जारी करने, 20 कर्मचारियों को निलंबित करने और 14 लोको रनिंग स्टाफ को दूरदराज के स्थानों पर स्थानांतरित करने जैसे क्रूर और दमनकारी उपायों का सहारा लिया है।

केईसी एलपी और एएलपी की उचित मांगों और इन मांगों के समर्थन में एआईएलआरएसए द्वारा किए जा रहे आंदोलन का पूर्ण समर्थन करता है। केईसी रेलवे अधिकारियों द्वारा अपनाए जा रहे दमनकारी उपायों की निंदा करता है और रेलवे अधिकारियों से लोको रनिंग स्टाफ की वास्तविक शिकायतों का समाधान करने का आह्वान करता है।

डॉ. ए. मैथ्यू
सचिव